राजस्थान सरकार

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, स्वास्थ्य भवन,सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : प.01( )/आरएमएससी/पीए/2015/2310 दिनांक : 30/07/2015

पीठासीन अधिकारीः– सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी. एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0

प्रथम अपील संख्या 1 सन् 2015, अन्तर्गत धारा 38 (1),

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012

मै0 एम.आर.के. हैल्थ केयर लिमिटेड, अपीलान्ट

बनाम

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लि0 जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक (उपापन), राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लि0 जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियन्त्रण), राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन, लि0 जयपुर।

–रेस्पोसडेन्टस

निर्णय

दिनांकः 30/07/2015

1. हस्तगत उपरोक्त अपील, अपीलान्ट संस्था द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 38 (1) के तहत NIT-10/2014 के बारे में कार्यकारी निदेशक (उपापन) के द्वारा दिनांक 30.03.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा पदनामित प्रथम अपील अधिकारी, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज0 सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। परन्तु उक्त प्रथम अपील अधिकारी के पास प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी. का चार्ज भी था। जिसके कारण उनके द्वारा उक्त निविदा प्रक्रिया में भाग लिया गया। उस दौरान ही उक्त विवादित आदेश दिनांक 30.03.2015 को कार्यकारी निदेशक (उपापन) द्वारा जारी किया गया था। इस कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलान्ट को RTPP Act, 2012 की धारा 38 (4) के तहत प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। परन्तु अपीलान्ट ने द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं कर

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल याचिका नं0 4726/2015 प्रस्तुत की गई । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.05.2015 द्वारा निर्देशित किया गया कि

" ………… Let the grievance of the petitioner be decided by the First Appellate Authority i.e. the officer equivalent to the rank of first Appealant Authority who has not taken part in the bidding process ……… "

इस निर्देश की पालना में पत्रावली प्रथम अपील अधिकारी की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की गई जहां से पत्रावली इस आदेश के साथ प्राप्त हुई है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया है और प्रबन्ध निदेशक पद पर स्थानान्तरित होकर नव पदस्थापित हुए है। अतः अपील अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनी जा सकती है। अतः राज्य सरकार के आदेशानुसार अपील की सुनवाई की गई।

2. संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आर.एम.एस.सी. द्वारा NIT-10/2014 दिनांक 22.09.2014 के द्वारा अन्य आईटमों के साथ–साथ आईटम S-5,S-6,S-7, सर्जिकल रबर ग्लोब की आपूर्ति हेतु निविदा जारी की गई थी। निविदा में वर्णित शर्त संख्या 8 के अनुसार उक्त आईटम सेम्पल का परीक्षण Technical Evaluation Committee (TEC) जो कि तकनीकी विशेषज्ञ (सर्जन) सवाई मानसिंह चिकित्सालय से नियुक्त थी, के द्वारा किया गया। उक्त सर्जन की समिति द्वारा अपीलान्ट के सेम्पल को तकनीकी आधार पर अमान्य कर दिया गया। इस तथ्य की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यकारी निदेशक (उपापन) द्वारा उक्त आदेश दिनांक 30.03.2015 को पारित कर अपीलान्ट संस्था की निविदा को नॉन रेस्पोसिव घोषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट संस्था ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. अपील के सन्दर्भ में, अपील की प्रति प्रेषित कर रेस्पोण्डेन्ट निगम के तथ्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20.07.2015 के लिए सूचित किया गया। जिसकी पालना में निगम की ओर से कार्यकारी निदेशक (उपापन) एवं कन्सलटेन्ट (लॉ) उपस्थित आये, तथा जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट की ओर से संस्था के अधिवक्ता श्री जगदीप सिंह राठौड उपस्थित आये। दोनों पक्षों को विस्तृत रूप से सुना गया।

4. अपीलान्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा कमोवेश वही तर्क प्रस्तुत किये, जिनका वर्णन उन्होंने अपील में किया है। उनका प्रमुख रूप से तर्क रहा है कि अपील की सुनवाई वर्तमान प्रबन्ध निदेशक (अद्योहस्ताक्षरकर्ता) द्वारा नहीं की जानी चाहिये।

क्योंकि प्रथम तो निगम स्वयं इस मामले में पक्षकार है तथा प्रबन्ध निदेशक, आर.एम. एस.सी. का पद विशिष्ठ शासन सचिव के समान नहीं है जबकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समान स्तर के अधिकारी द्वारा ही अपील सुनी जा सकती है। उनका यह भी तर्क रहा है कि चूंकि पूर्व के प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्वयं सुनवाई से इंकार कर दिया गया था। इसलिये वर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा भी सुनवाई नहीं करनी चाहिये।

उनका यह तर्क भी रहा है कि उनके द्वारा प्रदत्त सेम्पल आई.एस.आई. मार्का का है। जिनका नियमानुसार रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया हुआ है। इसलिये बिना लेबोरेटरी से जांच के, केवल देखने मात्र से सेम्पल के बारे में सर्जन द्वारा राय व्यक्त नहीं की जा सकती। उनका यह भी तर्क रहा है कि निविदा की शर्त सं0 8 में लेबोरेटरी से जांच कराने का प्रावधन है। परन्तु रेस्पोण्डेन्ट ने लेबोरेटरी से जांच नहीं करवाकर सवाई मानसिंह चिकित्सालय के सर्जन से जांच कराने में प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटी की है जो उचित नहीं है। उनका यह भी कहना रहा है कि Technical Evaluation Committee कई आदमियों की होनी चाहिये, जबकि अपीलान्ट के मामले में केवल एक सर्जन द्वारा रिपोर्ट दी गई है। जो दूसरे प्रतिस्पर्धी निविदादाता को लाभ पहुंचाने की मंशा से दी गई है। अन्त में उनका यह भी कहना रहा है कि अपीलान्ट संस्था ने पिछले टेण्डर में भाग लेकर एल–1 के रूप में उक्त सभी आईटम्स की आपूर्ति की है और वर्तमान में सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अलावा अन्य राज्यों में भी आपूर्ति की जा रही है, परन्तु पूर्व की आपूर्ति में कभी भी कही से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उक्त सभी आधारों पर अपीलान्ट ने प्रार्थना की कि ऐसी स्थिति में विवादित आदेश दिनांक 30.03.2015 को निरस्त किया जावे और अपीलान्ट संस्था को रेस्पोन्सिव घोषित कर उस कम दर वाले आईटमों में एल–1 घोषित किया जावे।

5. इसके विपरीत रेस्पोण्डेन्ट की ओर से अपीलान्ट के तर्को का खण्डन किया गया। बिन्दुवार तर्क दिया गया कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा पूर्व निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है तथा राज्य सरकार द्वारा ही अपील की सुनवाई हेतु मनोनीत किये गये हैं। इसलिये वर्तमान प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी. को हस्तगत अपील की सुनवाई के अधिकार विधि सम्मत प्राप्त है। उनका यह भी तर्क रहा है कि जिस कमेटी द्वारा आईटम का परीक्षण किया गया है। उसका निर्माण Technical Advitsary Committee (TAC) एवं Board of Directors (BOD) के निर्णय के अनुरूप ही किया गया है। तथा सेम्पल्स को तकनीकी विशेषज्ञ (सर्जन) से निविदा शर्तो में तकनीकी मूल्यांकन समिति

के रूप में कराया गया है तथा चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय द्वारा आदेश दिनांक 08.01.2015 से उक्त सर्जन की समिति का निर्माण किया गया था। क्योंकि उक्त सर्जन उक्त क्षेत्र में विशेषज्ञ होते है। इसके अलावा शर्त संख्या 8 में स्पष्ट वर्णन है कि सेम्पल की जांच या तो Technical Evaluation Committee (TEC) द्वारा कराई जा सकती है या लेबोरेटरी द्वारा। रेस्पोण्डेन्ट निगम की पूर्व निविदा में भी यही प्रावधान रहा है और उसी प्रक्रिया अनुसार यह जांच करवाई गई है। उनका इस तर्क पर जोर रहा है कि अपीलान्ट संस्था ने पूर्व टेण्डर 1/2013 में भाग लिया था। और एल–1 आई थी। तत्समय भी यही जांच प्रक्रिया अपनाई गई थी। परन्तु उस समय अपीलान्ट संस्था द्वारा सर्जन की गठित समिति द्वारा जांच करने की प्रक्रिया पर कोई ऐतराज या आक्षेप नहीं किया था। इसलिये विधि के सुस्पष्ट सिद्वान्त By way of estoppel अब वह इस ऐतराज/आक्षेप को उठाने से प्रतिबन्धित है और उन्हें ऐसा आक्षेप लगाने का अधिकार नही रह जाता।

इसके अतिरिक्त निगम द्वारा प्रसंगगत निविदा में निर्धारित निविदा प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी निविदा खोलने से पूर्व Pre Bid Meeting भी रखी गई थी। जिसमें निविदादाताओं के आक्षेप आमंत्रित किये जाते है। परन्तु अपीलान्ट संस्था द्वारा इस अवसर पर भी सर्जन/समिति द्वारा जांच करने की प्रक्रिया पर कोई आक्षेप नहीं किया और न ही उस समय इस ऐतराज के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन दिया है। इस प्रकार उन्होंने वर्तमान आक्षेप उठाने का अधिकार विधि के सुस्पष्ट सिद्धान्त "Waiver" के आधार पर खो दिया है। इसलिये उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर उनका आक्षेप मान्य नहीं है।

अन्त में उनका यह तर्क भी रहा है कि टेण्डर में आई.एस.आई. मार्क आईटम की मांग नही की गई बल्कि Confirm to ISI मांगा गया था। क्योंकि निगम की मंशा रही है कि आईटम्स उच्चतम गुणवत्ता वाला प्राप्त किया जावे ताकि आमजन रोगी के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा की जा सके। उन्होंने प्रार्थना की कि अपील के तथ्यों एवं विधि के आधार पर खरी नहीं उतरने के कारण अपीलान्ट की अपील मय खर्चा खारिज की जावे।

6. अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दोनों पक्षों के तर्क वितर्को पर विचारपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु है कि (I) क्या अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्तगत अपील श्रवण योग्य नहीं है, और (II) क्या रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया निविदा शर्तो के अनुरूप नहीं है ?

जहां तक अपील पर सुनवाई की सक्षमता का प्रश्न है ? इस सम्बन्ध में प्रथमतः वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ.1(8)/वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2013, परिपत्र 3/2013 उल्लेखनीय है जिसमें प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील अधिकारी को नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है। RTPP Act, 2012 की धारा 38 की मंशा स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित विभाग से ही नियुक्त होने है न की बाहरी विभाग से। चूंकि विभाग का मुखिया प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य होता है और उसे द्वितीय अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव के अधीनस्थ अधिकारी हो सकते है। चूंकि अद्योहस्ताक्षकर्ता का स्तर पदेन संयुक्त शासन सचिव का है। इस कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करने में विधिक रूप से सक्षम है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है कि अधिकारी वह हो जिसने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया हो। यह तथ्य है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता का पदस्थापन उक्त निविदा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हुआ है, और अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप ही, राज्य सरकार द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के नामजद आदेश जारी कर अपील की सुनवाई के आदेश प्रदान किये है। अतः कहा जा सकता है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में राज्य सरकार के आदेश की पालना में अपील की सुनवाई के अधिकार प्राप्त है। इसलिये अपीलान्ट संस्था के उक्त तर्क में कोई सार प्रतीत नहीं होता।

जहां तक अपील की मैरिट का प्रश्न है ? निविदा की शर्त 8 में "TEC and/ or Laboratary analysis" से सेम्पल्स की जांच कराने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत ही उक्त सवाईमान सिंह चिकित्सालय की सर्जन कमेटी का गठन किया गया है। चूंकि सर्जन ही निविदित आईटम S-5,S-6,S-7 (सर्जिकल रबर ग्लोब) का उपयोग करते है। इसलिये इन आईटमों के अन्तिम उपयोगकर्ता (enduser) ही इन आईटम के बारे में अच्छी परख कर सकते है।

इसके अलावा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्ट संस्था ने निगम के पूर्व टेण्डर 1/2013 में इन्ही आईटमों के विषय में भाग लिया और एल-1 घोषित की गई थी । तब भी इन आईटमों के परीक्षण की यही प्रक्रिया अपनाई गई थी, परन्तु तत्समय अपीलान्ट संस्था द्वारा इस प्रक्रिया पर कोई एतराज/आक्षेप प्रकट नहीं किया गया था। इसलिये अपीलान्ट संस्था विधि के सुस्पष्ट सिद्धान्त Estoppel से प्रतिबन्धित है।

अपीलान्ट ने जो आचरण पूर्व टेण्डर में प्रकट किया है उसके विपरीत आचरण द्वाराअब इस प्रकार की आपत्ती दर्ज नहीं कराई जा सकती।

इसके अतिरिक्त यह और कि वर्तमान निविदा प्रक्रिया के दौरान प्री बिड मीटिंग में सभी निविदादाताओं को आमंत्रित कर निविदा पर स्पष्टीकरण या आक्षेप/ऐतराज आमंत्रित किये गये थे। जिनका उचित समाधान भी उस समय निकाला जाता है। परन्तु अपीलान्ट संस्था ने इस अवसर का लाभ उठाते हुऐ जांच की प्रक्रिया पर न तो कोई ऐतराज किया और न ही निविदा प्रक्रिया में कोई सुझाव प्रस्तुत किया। अतः कहा जा सकता है कि अपीलान्ट संस्था ने अपना अधिकार अब आक्षेप प्रकट करने का खो दिया और विधि के सुपाठय सिद्धान्त "Waiver" (समर्पण) के आधार पर पूर्व में ही अधिकार का त्याग कर दिया है और वाद में इस प्रकार का आक्षेप उठाने का अधिकार शेष नहीं रह जाता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रकट होता है कि उपापन संस्था द्वारा इस निविदा में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह पूर्व प्रक्रिया व निविदा दस्तावेज के अनुरूप एवं विधि सम्मत प्रकट होती है। जिसमें दखलनदाजी के कोई कारण नजर नहीं आते तथा अपील अपीलान्ट आधारहीन प्रकट होती है।

30.07.15
(सुधीर कुमार शर्मा) आई.ए.एस.

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है। निर्णय की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति को उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जावे। पत्रावली निर्णित की जाकर रिकार्ड में संरक्षित की जावे।

30.07.15
प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.
एवं संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0